निर्णय न्यायालय श्री सत्यनारायण आचार्य आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा उद्घोषित

मु.नं. 172/08 दावा
दायरा दिनांक:- 10-7-08
निर्णय दिनांक:- 30-3-09

उनवान

1- तेजकरण पुत्र माणकचन्द जाति कुम्हार निवासी छीपाबड़ौद तहसील- छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम — वादी

1- नरेश कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति महाजन
2- नरेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज जाति महाजन
3- रानीबाई पत्नि तेजकरण जाति कुम्हार निवासी छीपाबड़ौद
4- नरेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
5- रामप्रसाद पुत्र रामचरण जाति धाकड़ निवासी ग्राम छीपाबड़ौद
6- छीतरलाल पुत्र ~~मंगल~~ रतनलाल जाति तमोली निवासी उतावली रोड छीपाबड़ौद तह० छीपाबड़ौद
7- प्रदीप कुमार पुत्र त्रिलोकचन्द जाति कलाल निवासी छीपाबड़ौद
8- हेमराज पुत्र ~~मोतीलाल~~ हजारीलाल जाति कुम्हार नि० छीपाबड़ौद
9- जगदीश पुत्र नेकलाल जाति धाकड़ निवासी अजनावर तह० छीपा०
10- पुष्पा पत्नि रेवतीरमण पारीक जाति ब्राह्मण नि० छीपाबड़ौद
11- हेमराज पुत्र नाथूलाल जाति कलाल निवासी छीपाबड़ौद
12- राज० सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद

प्रति०

वाद अन्तर्गत धारा- 53 RTA
निर्णय दिनांक:- 30-3-09

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 RTA विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्याया० में ~~पेश~~ इस आशय का पेश किया

लगातार-

गया कि मौजा छीपावडी के ख०नं० 592 रकबा 13 बिस्वा, ख०नं० 595 रकबा 3 बिस्वा, ख०नं० 596 रकबा 4 बिस्वा, ख०नं० 597 रकबा 4 बिस्वा, ख०नं० 593 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख०नं० 594 रकबा 19 बिस्वा ख०नं० 598 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 6 बि वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 11 के नाम जमाबंदी दर्ज है। उक्त आरा पूर्व से वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी तथा नामा० सं० 1622 से खातेदार नरेश कुमार ने सम्पूर्ण हिस्से 1/2 में से हि० 1/2 यानि हक 1/4 हुआ प्रतिवादी सं० 3 रानीबाई पत्नि तेजकरण सोनी को बेचान से खाते दर्ज हुई। उक्त वर्णित आराजी में से कुछ आराजीयात का तकासमा पूर्व में हो चुका है तथा कुछ आराजीयात को वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता द्वारा प्रतिवादी सं० 4 ता 11 को बेचान कर दी गई है जिसका डि इन्तकाल द्वारा प्रतिवादी सं० 4 ता 11 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका तथा शेष आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के शामलाती खातेदारी में दर्ज जमाबंदी चली आ रही है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा निहित है तथा उसके कब्जे काश्त में चल आ रही है। उक्त वर्णित आराजी को वादी संयुक्त में नहीं रखना चाहता है तथा अपने हिस्से की आराजीयात क विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद कारण प्रथम बार दिनांक 18.4.2008 को तब उत्पन्न हुआ जबकि वादी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 ता 11 से वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात का तकासमा करने हेतु कहा किया तो प्रतिवादी सं० 1 ता 11 ने अपनी सहमति प्रकट नहीं की यही तिथि विनाय मुखासमत दावा बाजा करार दी जाती है। रा सरकार Land Holder होने से उसे भी इस वाद में आवश्यक पक्ष बनाया गया है राज्य सरकार को वाद में पक्षकार बनाने हेतु धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वाद की अर्जेन्सी को देखते हुए धारा 80 उपधारा 2 सीपीसी प्रार्थना पत्र वाद के साथ पेश कर वाद प्रस्तुत की अनुमति चा गई है।

क्रमशः

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी मौजा खोदावली में अवस्थित होने से एवं वाद के पक्षकारान एवं वाद कारण भी यहीं उत्पन्न हुआ अतः वाद डिक्री फरमाया जाये।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को तारीख सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ता 4 व 6 ता 12 बावजूद इत्तला के न्यायालय में हाजिर नहीं ~~इस~~ होने के कारण दिनांक 31.7. को उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी नं 5 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया तथा वकील प्रतिवादी द्वारा जाहिर किया कि बटवारे में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल खतौनी ग्राम खोदावली सन् 2061-2064 पेश की गयी। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

वकील अभिभाषक वादी गण सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा रिकार्ड का अच्छी प्रकार अध्ययन किया गया। मुताबिक खतौनी फसली 2061-64 ग्राम खोदावली के खाता नं. 201 में नरेश कुमार हि० 1/2 नरेन्द्र कुमार हि० 1/4 तथा तेजकरण हि० 1/4 दर्ज होना पाया जाता है रकबा विवादित भूमि में प्लाट न अंश ही विक्रय 01 बिस्वा, 01 बिस्वा भूमि का विक्रय किया गया और मौका भूमि पर उन्हीं का कब्जा चला आ रहा है इसलिए पक्षकारान के मध्य बटवारा किया जाना अति आवश्यक है

## क्रियात्मक आदेश

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद

किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खोदावली में ख 592 रकबा 13 बि०, ख०नं० 595 रकबा 3 बिस्वा, ख०नं० 596 रक 4 बिस्वा, ख०नं० 597 रकबा 4 बि०, ख०नं० 593 रकबा 1 बीघा ख०नं० 594 रकबा 19 बिस्वा, ख०नं० 598 रकबा 1 बीघा 18

लगातार

(5)

कुल किता 7 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 11 के मध्य इक आधी में से आधी व चौथी में से चौथी आराजी का विभाजन कर विभाजन प्रारूप तैयार हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को निर्देशित किया जाता है तथा वादी के हिस्से में आई आराजी को वादी के सुपुर्द किया जावे। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। विभाजन प्रारूप प्राप्त होने पर पत्रावली दिनांक 29.6.09. को पेश हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आचार्य)
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद
उप जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner